भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 15

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स के मरीजों हेतु आश्रय गृह

15. **श्री प्रतापराव जाधव:**
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री चैर्शशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरेंग आप्पा बारणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले गरीब बाहरी मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए एम्स और शहर में उसके आसपास चल रहे अस्थायी। स्थायी आश्रय गृहों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने बिस्तर उपलब्ध हैं;
(ख) क्या इलाज के लिए एम्स, दिल्ली आने वाले गरीब बाहरी मरीजों को अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में अस्थायी/स्थायी आश्रयों की कमी के कारण अक्सर खराब मौसम में अस्पताल के बाहर/आस-पास सोना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एम्स बाहरी मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए 2000 बिस्तरों वाला आश्रय गृह बनाने की योजना बना रहा है;
(घ) यदि हां, तो उक्त सुविधा के निर्माण पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है; और
(ङ) सरकार।/एम्स द्वारा अस्पताल में आने वाले गरीब बाहरी मरीजों के ठहरने की सुविधा के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में संस्थान के परिसर के भीतर पांच अवस्थितियों में रोगियों के परिचरों के लिए सभी सुविधाओं सहित 1500 से अधिक बिस्तरों का प्रावधान है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सर्दी के मौसम में एम्स के निकट ऐसे व्यक्तियों के लिए 15 टेंट के आश्रय गृह का प्रावधान करता है।

*****